अनुदान संख्या 59 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 59 - MINISTY OF INFORMATION AND BROADCASTING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4379,90,00		4379,96,00	3476,38,05	-903,57,95
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					867,59,28
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	29,10,00		29,11,00	11,23,80	-17,87,20
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,89,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	7952.00	6134.87	6033.32	-101.55
पु.	R.	-1817.13			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला और संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	1023.00	882.00	829.70	-52.30
पु.	R.	-141.00			
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"				
सूचना और प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	83125.00			
पू.	S.	3.00	70192.45	66988.63	-3203.82
पु.	R.	-12935.55			
मुख्य शीर्ष "2221"	Major Head "2221"				
प्रसारण	Broadcasting				
मू.	O.	337470.00			
पू.	S.	2.00	274027.40	273786.40	-241.00
पु.	R.	-63444.60			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8420.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-8421.00			

(I) ₹14446.50 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹14115.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹14446.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2017) remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹14115.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2220" – "फिल्म – फिल्मों का निर्माण – एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र" – ₹6000.00 लाख – कैंपस के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण न होने तथा शैक्षिक हिस्सेदार के चिह्नांकन के लिए वैश्विक निविदा के तहत बोलियों की प्राप्ति न होने के कारण।

(A) Major Head "2220" - "Films - Production of Films - National Centre of Excellence for Animation, Gaming and Special Effects" - ₹6000.00 lakhs - due to non-transfer of land for construction of campus and non-receipt of bids against global tender for identification of academic partner.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "फिल्म – फिल्मों का निर्माण" –

(i) "भारत और विदेश में फिल्म समारोहों तथा फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन" – ₹200.00 लाख;

(ii) "एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास" – ₹1400.00 लाख;

(ख) "अन्य (सूचना एवं प्रचार) – जनसंचार में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण – भारतीय जनसंचार संस्थान" – ₹200.00 लाख;

(ग) "अन्य (सूचना एवं प्रचार) – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय" – ₹1115.00 लाख;

(घ) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान"–

(i) "प्रसार भारती" – ₹4200.00 लाख; और

(ii) "प्रसार भारती को किसान चैनल के लिए सहायता–अनुदान" – ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय" – ₹1918.68 लाख की बचत (₹7952.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने और कम

(B) Major Head "2552" -

(a) "Films - Production of Films" -

(i) "Promotion of Indian Cinema through Film Festivals and Film Markets in India and abroad" - ₹200.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Development in SRFTI" - ₹1400.00 lakhs;

(b) "Others (Information and Publicity) - Research and Training in Mass Communication - Indian Institute of Mass Communication" - ₹200.00 lakhs;

(c) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Directorate of Advertising and Visual Publicity" - ₹1115.00 lakhs;

(d) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati" -

(i) "Prasar Bharati" - ₹4200.00 lakhs; and

(ii) "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Kisan Channel" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Information and Broadcasting" - saving of ₹1918.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7952.00 lakhs) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances, receipt of less claims towards leave

कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "2205" – "सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए सिनेमॉटोग्राफिक फ़िल्मों का प्रमाणन – केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड" – ₹200.56 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने और जीईएम पोर्टल के जरिए कम मदों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "फिल्म – फिल्मों का निर्माण" –

(क) "फिल्म प्रभाग" – ₹1282.45 लाख की बचत (₹5723.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "फिल्म समारोह निदेशालय" – ₹198.58 लाख की बचत (₹1342.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ पद समाप्त किए जाने तथा परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

(ग) "राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन" – ₹3398.31 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की पुनरीक्षा के कारण निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, संरक्षण तथा फिल्म संग्रहण मूल्यांकन के कार्यकलापों में विलंब और अनुषंगी सामग्रियों के डिजिटाइजेशन में विलंब।

(घ) "फिल्मों और वृत्तचित्रों का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण" – ₹659.06 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिशाषी

travel concession/leave encashment and conduction of less workshops/training programmes.

(III) Under Major Head "2205" - "Certification of Cinematographic Films for Public Exhibition - Central Board of Film Certification" - saving of ₹200.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances, receipt of less claims towards leave travel concession/leave encashment and procurement of less items through GeM Portal.

(IV) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Film - Production of Films"-

(a) "Films Division" - saving of ₹1282.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5723.00 lakhs); and

(b) "Directorate of Films Festivals" - saving of ₹198.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1342.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to abolition of some posts and requirement of less funds towards transport and house rent allowances.

(c) "National Film Heritage Mission" - saving of ₹3398.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-finalization of tender owing to review of scheme, delay in activities of preservation and film collection assessment and delay in digitization of ancillary materials.

(d) "Production of Films and Documentaries in various regional languages" - saving of ₹659.06 lakhs (against the sanctioned

परिषद न होने की वजह से फिल्म प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य"–

(क) "जनसंचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण" –

(i) "भारतीय जनसंचार संस्थान" – ₹1203.84 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2123.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होने के कारण वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुई।

(ii) "न्यू मीडिया विंग (तत्कालीन आरआरएण्डटीडी)" – ₹155.47 लाख की बचत (₹338.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने और कुछ अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के के कारण हुई।

(iii) "आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेडेशन" – ₹200.10 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹400.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य सिविक निकायों से निर्माण योजना को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

provision of ₹1600.00 lakhs) was due to non-finalization of film proposals owing to absence of Executive Council.

(B) "Others"-

(a) "Research and Training in Mass Communication"-

(i) "Indian Institute of Mass Communication" - saving of ₹1203.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2123.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in July, 2017) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards salaries owing to non-implemetnation of 7th Central Pay Commission recommendations and availability of unspent balances of previous years.

(ii) "New Media Wing (erstwhile RR&TD)" - saving of ₹155.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹338.00 lakhs) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances, receipt of less claims towards leave travel concession/leave encashment and non-finalisation of some procurement proposals.

(iii) "Upgradation of IIMC to International Standards" - saving of ₹200.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹400.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in July, 2017) was due to non-approval of building plan from Delhi Development Authority (DDA) and other civic bodies.

(iv) "आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना" – ₹305.85 लाख की बचत (जुलाई, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.35 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1200.35 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और अमरावती में निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण।

(ख) "विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय" – ₹950.00 लाख की बचत (₹7142.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी नकदीकरण के लिए कम दावे प्राप्त होने और मीडिया प्रचार के लिए बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सूचना केंद्र – सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म के अंतर्गत कार्यकलाप" – ₹377.19 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनशक्ति को भाड़े पर लेने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को हटाए जाने तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "प्रेस सूचना सेवा" –

(i) "अन्य मदें" – ₹470.48 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹854.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवहन तथा मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/छुट्टी नकदीकरण के लिए कम दावे प्राप्त होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण।

(iv) "Opening of New Regional Centres of IIMC" - saving of ₹305.85 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1200.35 lakhs including token supplementary grant of ₹0.35 lakh obtained in July, 2017 and March, 2018) was due to non-commencement of construction work at Jammu and Amravati.

(b) "Advertising and Visual Publicity - Directorate of Advertising and Visual Publicity" - saving of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7142.00 lakhs) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances, receipt of less claims towards leave travel concession/ leave encashment and non-presentation of bills for media campaigns.

(c) "Information Centres - Activities under Social Media Platform" - saving of ₹377.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to discontinuation of outsourced agencies for hiring of manpower and non-procurement of equipments.

(d) "Press Information Services" -

(i) "Other Items" - saving of ₹470.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹854.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in July, 2017) was due to requirement of less funds towards transport and house rent allowances, receipt of less claims towards leave travel concession/leave encashment and availability of unspent balances of previous years.

(ii) "प्रेस सूचना ब्यूरो" – ₹745.27 लाख की बचत (₹7350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ङ) "समाचार पत्रों का पंजीकरण – भारतीय समाचार पत्र पंजीयक" – ₹221.42 लाख की बचत (₹795.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ पदों को समाप्त किए जाने तथा परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(च) "फील्ड प्रचार – फील्ड प्रचार निदेशालय" – ₹583.40 लाख की बचत (₹6760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और छुट्टी यात्रा रियायत / छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(छ) "फील्ड प्रचार निदेशालय द्वारा सीधे सम्पर्क कार्यक्रम" – ₹152.74 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने तथा कम विशेष आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(ज) "गीत तथा नाटक सेवा – गीत तथा नाटक प्रभाग" – ₹1370.17 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4571.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पदों के समाप्त किए जाने, परिवहन और मकान किराया भत्तों और कलाकार कर्मचारियों के वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(झ) "फोटो सेवा – फोटो प्रभाग" – ₹108.08 लाख की

(ii) "Press Information Bureau" - saving of ₹745.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7350.00 lakhs); and

(e) "Registration of Newspapers- Registrar of Newspapers for India" - saving of ₹221.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹795.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to abolition of some posts and requirement of less funds towards transport and house rent allowances.

(f) "Field Publicity - Directorate of Field Publicity" - saving of ₹583.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6760.00 lakhs) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances and receipt of less claims towards leave travel concession/ leave encashment.

(g) "Direct Contact Programme by Directorate of Field Publicity" - saving of ₹152.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-procurement of equipments and conduction of less special outreach programmes.

(h) "Song and Drama Services - Song and Drama Division" - saving of ₹1370.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4571.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) was due to abolition of some posts, requirement of less funds towards transport and house rent allowances and salaries of staff artists.

(i) "Photo Services - Photo Division" - saving

बचत (₹520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ञ) "प्रकाशन – प्रकाशन प्रभाग" – ₹470.43 लाख की बचत (₹3765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ पदों को समाप्त किए जाने तथा परिवहन और मकान किराया भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ट) "सामुदायिक रेडियो तथा टेलीविजन – भारत में सहायक सामुदायिक रेडियो मूवमेंट" – ₹331.93 लाख की बचत (₹380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सम्मलेन, जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित न किए जाने तथा कम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के कारण हुई।

(ठ) "अन्य व्यय" – मंत्रालय में अवसंरचना सहायता प्रकोष्ठ जिसका नाम बदलकर डिजिटाइजेशन मिशन रखा गया है" – ₹425.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन न मिलने के कारण हुई

(V) मुख्य शीर्ष "2221" – "सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:–

(का) "प्रसार भारती" – ₹48234.00 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹299670.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रसार भारती को सहायता अनुदान" – ₹13660.30 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.30 लाख

of ₹108.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹520.00 lakhs); and

(j) "Publications - Publications Division" - saving of ₹470.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3765.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to abolition of some posts and requirement of less funds towards transport and house rent allowances.

(k) "Community Radio and Television - Supporting Community Radio movement in India" - saving of ₹331.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹380.00 lakhs) was due to non-organising of national sammelan, awareness workshops and organizing of less regional sammelans.

(l) "Other Expenditure -Infrastructure Support Cell in the Ministry renamed as Digitization Mission" - saving of ₹425.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for continuation of scheme.

(V) Under Major Head "2221" - "General - Grants to Prasar Bharati" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Prasar Bharati" - saving of ₹48234.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹299670.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in July, 2017) was due to requirement of less funds towards leave salary and pension contribution and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Grants-in-aid to Prasar Bharati" - saving of ₹13660.30 lakhs (against the total sanctioned

के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹30800.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

provision of ₹30800.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in July, 2017); and

(गा) "प्रसार भारती को किसान चैनल के लिए सहायता अनुदान" – ₹1790.30 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7000.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Kisan Channel" - saving of ₹1790.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7000.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in July, 2017).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विक्रेताओं से खराब प्रत्युत्तर/जीएसटी के स्पष्टीकरण में देरी के कारण परियोजना को मूर्त रूप न दिए जाने/निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-materialisation of project/non-finalisation of tender owing to poor response from vendors/late clarification of GST.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹259.15 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 50 प्रतिशत थीं।

(VI) Under three heads savings of ₹259.15 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent to 50 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1752.33 लाख) प्रयुक्त हो गईं जो मुख्य शीर्ष "2220" "फिल्म – फिल्मों का निर्माण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत जुलाई, 2017 और मार्च, 2018 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹1752.33 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in July, 2017 and March, 2018 under Major Head "2220" - "Films - Production of Films" - under the following heads:-

(का) "भारत तथा विदेश में फिल्म समारोह तथा फिल्म बाजार के जरिए भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन" – ₹1352.68 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹631.25 लाख था।

(A) "Promotion of Indian Cinema through Film Festivals and Film Markets in India and abroad" - ₹1352.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹631.25 lakhs.

(खा) "एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास" – ₹399.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹394.91 लाख था।

(B) "Infrastructure development in SRFTI" - ₹399.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹394.91 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2220" "अन्य" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220" - "Others" - under the following heads:-

(का) "विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार के जरिए लोगों का सशक्तिकरण" – ₹2425.24 लाख का अधिक व्यय (₹11205.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार तथा मीडिया अभियानों, प्रदर्शनियों, पंचायत कैलेंडर मुद्रण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग किए जाने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Advertising and Visual Publicity - People's Empowerment through Development Communication" - excess of ₹2425.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11205.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards publicity and media campaigns, exhibitions, printing of panchayat calendar and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "प्रेस सूचना सेवा – प्रेस सूचना ब्यूरो का आधुनिकीकरण" – ₹424.74 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए बने "सामाजिक मीडिया केंद्र" के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) "Press Information Services - Modernization of Press Information Bureau (PIB)" - excess of ₹424.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards newly created "Social Media Hub".

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹132.01 लाख का अधिक व्यय हुआ, प्रत्येक ₹50.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 151 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹132.01 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 18 percent and 151 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4220" सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity				
मू.	O.	2910.00			
पू.	S.	1.00	1822.00	1123.80	-698.20
पु.	R.	-1089.00			

(I) ₹1460.30 लाख का प्रावधान (मार्च 2018 में प्राप्त ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1290.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "फिल्म – अन्य भवन" –

(क) "राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन" – ₹950.00 लाख – स्कीमों की पुनरीक्षा की वजह से निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(ख) "फिल्म प्रभाग की भवन अवसंरचना का अपग्रेडेशन" – ₹140.00 लाख; और

(खा) "अन्य – मानीटरिंग सेवाएं – इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र" – ₹200.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्थाई वित्त समिति/व्यय वित्त समिति से अनुमोदन न मिलने के कारण हुईं।

(II) "फिल्मों" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "मशीनरी तथा उपस्कर – कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए उपकरणों के अर्जन और सीबीएफसी की प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण" – ₹152.98 लाख की बचत (₹270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थियेटरों को अतिरिक्त स्थान का आवंटन न होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य भवन – गतिशील छवि के संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)" – ₹225.30 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.30 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹800.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई बनाई गई नवोन्मेष समिति द्वारा कतिपय परिवर्तनों की सलाह के कारण राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1460.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in March, 2018) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹1290.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) "Films - Other Buildings" -

(a) "National Film Heritage Mission" - ₹950.00 lakhs - due to non-finalisation of tender owing to review of the scheme.

(b) "Upgradation of building infrastructure of Films Division" - ₹140.00 lakhs; and

(B) "Others - Monitoring Services - Electronic Media Monitoring Centre"- ₹200.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-receipt of approval from the Standing Finance Committee/Expenditure Finance Committee.

(II) Under "Films" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipment - Acquisition of Equipment for Establishment of Computerised Management System and Modernisation of Certification process of CBFC" - saving of ₹152.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270.00 lakhs) was due to non-allotment of additional space for theatres.

(B) "Other Buildings - Setting up of Museum of Moving Images (Films Division)" - saving of ₹225.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹800.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in March, 2018) was due to requirement of less funds towards National Museum of Indian Cinema ((NMIC) owing to certain changes suggested by newly constituted Innovation Committee.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹99.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि “फिल्म – अन्य भवन – जयाकर बंगलो सहित एनएफएआई की अवसंरचना का अपग्रेडेशन और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना” के अंतर्गत मार्च, 2018 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹99.59 लाख था।

4. The above savings were partly (₹99.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2018 under “Films - Other Buildings” - Upgradation of Infrastructure of NFAI including Jayakar Bungalow and setting up of digital library. Actual excess, however, was ₹99.59 lakhs.